

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

आदेश

प्रार्थी के " खाता दुरुस्ती " प्रार्थना पत्र एवं पटवारी भोगराना तथा तहसीलदार नोहर की अनुशंषा- के आधार पर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में जमाबन्दी में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र०स०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।
1	2	3	4	5
1	भोगराना	120/116	सावित्री पुत्री हरलाल	सावित्री पत्नि रामजीलाल

*S. S. S. S.*  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
नोहर ( हनुमानगढ )  
दिनांक :- 27/12/18

क्रमांक :रीडर /2018/1732-1733  
प्रतिलिपी :-

2. तहसीलदार नोहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
3. प्रार्थी सावित्री पत्नि रामजीलाल को सूचनार्थ प्रेषित है

*S. S. S. S.*  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
नोहर ( हनुमानगढ )

Web Copy - Not Official